संख्या–113/VI-1/2004–12 (खेल)2003

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
खेल विभाग,
देहरादून।

खेल अनुभाग

देहरादून दिनांक/3 सितम्बर, 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–2005 में प्राविधानित धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–65/ VI-1 /2004 दिनांक 03 जून 2004 शासनादेश संख्या–554/वित्त अनुभाग–1/2004 दिनांक 30 जुलाई 2004 एवं आपके पत्रांक संख्या–1269/आ0व्य0प0/2004–2005/देहरादून दिनांक 02–08–2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–2005 में निम्नलिखित आयोजनागत पक्ष की मदों में रू0 70.80 लाख (रूपये सत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) व्यय करने की निम्नविवरणानुसार व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क्र0स0	मानक मद	आयोजनागत स्वीकृति धनराशि हजार रूपये में
1–	07–विशिष्ट खिलाडियों को प्रदेशिय पुरूषकार–00–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	400
2–	11–राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं मे भाग लेने वाली प्रदेशिय टीम की खिलाडी हेतु किट की व्यवस्था–00–20–सहायक अनुदान / अशंदान/राजसहायता	500
3–	12–प्रदेशिय कीडा संघो क्लबो, एवं अन्य कीड़ा संघो आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपकरण कय हेतु अनावर्तक अनुदान–00–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	500
4–	16–स्थायी कीड़ा उपकरणों का कय–00–42–अन्य व्यय	1300
5–	25–राणा इन्सटीटयूट आफ शूटिंग स्पोर्टस को अनुदान–00–20– सहायक अनुदान/अशंदान / राजसहायता	1000
6–	9101–खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन (जिलायोजना)–42–अन्य व्यय	1400
7–	9102–खेलकूद प्रशिक्षण शिविर–42–अन्य व्यय	1500
	योग–	6600

(रूपये छियासठ लाख मात्र)

NIC-515

2--उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। निवर्तन पर रखी गयी इस धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

3--यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

4--किसी भी मद में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, भंडार क्रय नियम तथा मितव्ययता सम्बन्धी समय समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का क्रय डी0जी0एस0एण्ड0डी0 की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेंडर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

5--उपरोक्तानुसार आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग किये जाने के पूर्व इसके मदवार व्यय के प्रस्तावों/योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6--उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004--05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या--11 के लेखाशीर्षक--2204--खेलकूद तथा युवा सेवायें--00--104--खेलकूद के आयोजनागत पक्ष के उपरोक्त मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

7--यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या--246/वित्त अनुभाग--2/2004 दिनांक 10सितम्बर,2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-- VI-1/2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1--महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2--वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3--श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
4--वित्त अनुभाग--2, उत्तरांचल शासन।
5--एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
6--नियोजन अनुभाग।
7--निजि सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
8--गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।